



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज०)
पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या-17/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक-05.03.2025

निर्णय दिनांक-08.10.2025

विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी-568, मालवीय नगर, जयपुर (राज०)

वादी

बनाम

1. भैरू पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
2. देवा पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
3. छोटी पुत्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
4. देव पुत्री रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
5. उददा पुत्र भोजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
6. किशन पुत्र भोजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
7. देवप्रकाश पुत्र भोजा जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
8. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज०)
9. उप पंजीयक पीपलू / राणोली
10. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीपलू, जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी-श्री नन्दकिशोर शर्मा एड०


श्री हेमराज गुर्जर एड०

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07, 10-अनुपस्थित

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92-ए व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955



उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)





निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी विमल मेहता बनाम भैरु वगै० प्रकरण संख्या 17/2025 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख०न० 72 रकबा 03-19 बीघा (0.9990 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह० पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2007 को खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता रामकरण पुत्र बजरंगा व भोज्या पुत्र बजरंगा से खरीद किया है। तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में वादी को आवश्यकता होने पर अपनी जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी हुई की उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम नहीं हुआ है तथा जमाबंदी में पूर्व विक्रेता व उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर बैंक का रहन दर्ज है। वादी ने अपने पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर तहसीलदार पीपलू के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उन्होंने बताया की विक्रेतागण की मृत्यु हो चुकी है और जब तक भूमि रहन मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक हम उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नहीं कर सकते। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 से मिलकर उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने एवं रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने बाबत प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त आराजीयात का अपन 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व वादी के हक में निहित हो चुके थे, किन्तु वादी के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी बैंक के हक में रहन रख दी है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस कारण बैंक के हक में किया गया रहन का अंकन वादी के हितो के प्रति शून्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विक्रय की गई उक्त भूमि ख०न० 72 पर जो ऋण लिया गया है। उसकी पूर्ति प्रतिवादीगण की अन्य अचल संपत्ति व भूमि पर रहन का आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी का उक्त वर्णित खरीद शुदा आराजीयात के 1/2 हिस्से का मालिक, काबिज, स्वामी है। इस कारण वादी को उक्त वर्णित आराजीयात ख०न० 72 रकबा 0.9990 हैक्ट वाके ग्राम इब्राहीमाबाद के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के स्थान पर वादी के नाम का अंकन कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का नाम



उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)



अंकित है। पूर्व विक्रेतागण की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन गलत रूप से उनके हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जो कानून के विपरित है। इस कारण उक्त विक्रय के पश्चात किये गये दस्तावेज वादी के हितों के विपरित है एवं शून्य है। अतः डिग्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 बाबत उद्घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात ख0न0 72 रकबा 0.9990 हैक्ट वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को हिस्से 1/2 का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम का अंकन करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे की वे स्वयं, जरिये एजेन्ट नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे तथा वादी के कब्जे काशत की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग-उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 व 10 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड एडी. जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 व 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने वादी के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 स्वयं वादी विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन ने अपने शपथ पत्र में कथन किया की भूमि आराजी. ख0न0 72 रकबा 03-19 बीघा (0.9990 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसके 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काशतकार है। जिस पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2007 को खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के पिता रामकरण पुत्र बजरंगा व भोज्या पुत्र बजरंगा से खरीद किया है। तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। जमाबंदी में पूर्व विक्रेता व उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर बैंक का रहन दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 से मिलकर उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने एवं रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने बाबत प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त आराजीयात का अपन 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व वादी के हक में निहित हो चुके थे, किन्तु वादी के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी बैंक के हक में रहन रख दी है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही था। इस कारण बैंक के हक में किया गया रहन का अंकन वादी के हितों के प्रति


उप सपड अधिकारी
पीपलू (टोंक)




शून्य है। वादी का उक्त वर्णित खरीद शुदा आराजीयात के 1/2 हिस्से का मालिक, काबिज स्वामी है। इस कारण वादी को उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 72 रकबा 0.9990 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद के 1/2 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम का अंकन करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे की वे स्वयं, जरिये एजेन्ट नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे तथा वादी के कब्जे काशत की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग-उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 शंकरलाल जाट पुत्र हजारी लाल जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 72 रकबा 0.9990 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है, जो पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 18 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी। तब से वादी का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। मैं उक्त भूमि को मैंने दो वर्ष पूर्व अन्य भूमियों के साथ आधोली पर काशत की थी। मुझे वादी द्वारा ही आधोली पर काशत करने हेतु दी गई थी। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि पर खरीद के पश्चात कभी कब्जा काशत नही रहा है।


साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 03 नन्दराम पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 72 रकबा 0.9990 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है, जो पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 18 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी। तब से वादी का उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है। मैं उक्त भूमियो की तरफ आता रहता हूं। क्योकि उक्त भूमियो का पडौसी खातेदार हूं। उक्त भूमि को वादी से आधोली पर लेकर काशत की है।

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 72 रकबा 03-19 बीघा (0.9990 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो पूर्व में रामकरण पुत्र बजरंगा व भोज्या पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता है। जिसको वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17.12.2007 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तब से उक्त भूमि


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)




पर वादी काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वादी ने असल विक्रय पत्र नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था, लेकिन वादी बाहर रहने के कारण समय पर अपने हक में हुए विक्रय पत्र का नामान्तरण नहीं खुलवा सका। कुछ समय पश्चात रामकरण पुत्र बजरंगा व भोज्या पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात विक्रेता रामकरण पुत्र बजरंगा की विरासत का नामान्तरण संख्या 367 दिनांक 20.11.2009 को विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम दर्ज हो गयी। वह भोज्या पुत्र बजरंगा की विरासत का नामान्तरण संख्या 442 दिनांक 17.01.2013 को प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 के उद्दा, देवप्रकाश, किशन व इनकी बहिने लाडा, सोभाग, नन्दू, प्रेम, नंछी, बदाम पुत्रियां भोज्या के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी। उसके पश्चात लाडा वगैरे द्वारा हकत्याग करने पर नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 06.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 07 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुयी। जबकि नियमानुसार भूमि का विक्रेता द्वारा बेचान किये जाने किये जाने पर समस्त हक व अधिकार क्रेता में समाहित हो जाते हैं। इस कारण जो नामान्तरण प्रतिवादी के नाम गलत किया गया है, गलत एवं विधि विरुद्ध है तथा पश्चातवृत्ति जो भी दस्तावेज हुये है। वे वादी के हितो के प्रतिकूल है। वादी ने वर्तमान समय में ऑनलाईन जमाबंदी होने पर अपनी भूमि की जमाबंदी देखी तो ज्ञात हुआ की उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तब वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तब वादी ने माननीय न्यायालय में विक्रय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिसको माननीय न्यायालय ने दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वादी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में स्वयं वादी, नन्दराम गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी इब्राहीमाबाद व शंकरलाल जाट पुत्र हजारी जाट निवासी इब्राहीमाबाद बयान दर्ज करवाये गये। स्वतन्त्र गवाहनो ने अपने बयानो में कथन किया की हम वादी व प्रतिवादीगण व उपरोक्त भूमि को जानते पहचानते है। उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है और वादी ही काशत करता चला आ रहा है। हमने भी उक्त भूमि को आधोली पर काशत की है, जो वादी के कहने पर ही की है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काशत नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर वादी ही काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त वाद के साथ विक्रय पत्र की सत्यं प्रतिलिपि प्रस्तुत किया, जो रजिस्टर्ड विक्रय है। जिसको किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त दस्तोवज रजिस्टर्ड है, जो सन्देह से परे है। जब तक वादी के हक में हुआ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है, तो वादी के हक में अधिकारो को नकार नहीं सकते है, क्योंकि जब विक्रेता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपने नाम भूमि का हस्तान्तरण कर देता है, तो उसके सारे हक अधिकार तुरन्त क्रेता में समाहित हो जाते है। प्रथम विक्रय पत्र हो जाने के बाद पश्चातवर्ती विक्रय पत्र या दस्तावेज शून्य होते है। जिनके पश्चातवर्ती क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)



होते हैं। इस कारण वादी के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पश्चात् कोई भी दस्तावेज हुए है, तो वह वादी के हितों के तक शून्य है। वादी ने अपना वाद पत्र बखूबी दस्तावेजी व मौखिक बयानों से सिद्ध किया है तथा प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के उपरान्त भी तामिल होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं तथा अपनी तरफ से प्रतिवादी भी प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मौखिक बयानों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर खरीद के पश्चात् वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। क्रेता का केवल नामान्तरण नहीं खुलने से उसको अपने हक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि नामान्तरण एक सरसरी कार्यवाही है। जिससे किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करे। वादी ने अपनी लिखित बहस के समर्थन में कानूनी नजीरे RRT 2016-17 Page 459, RRT 2011 (1) Page 159, RRT 2012 (1) Page 374, RRT 2011-12 (Sup) Page 498, RRT 2009-10 (Sup) Page 411 पेश की।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र, साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता वादी की लिखित बहस पर मनन किया गया। विक्रयपत्र पत्र क्रमांक 2007002059 दिनांक 17.12.2007 उप पंजीयक पीपलू द्वारा एक पंजीबद्ध विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के पिता द्वारा बिलएवज मुबलिग 61,500 रूपये अक्षरे इकसठ हजार पांच रूपये मात्र में विक्रय कर दिया है यानि बेचान कर दिया है और विक्रित भूमि की एवज में समस्त राशि क्रेतागण से नगद बाला बाला रुबरू गवाहन मौके पर प्राप्त कर ली है। अब क्रेतागण से भी कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। क्रेतागण से राशि नकद प्राप्तकर मौके पर कब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से मौके पर जाकर चारों ओर की सीमाये बताकर कब्जा क्रेतागण को संभला दिया है। आज से क्रेतागण उक्त विक्रित भूमि की संयुक्त रूप से मालिक, स्वामी हो चुका है। विक्रय पत्र में पूर्व प्रतिफल राशि दिये जाने का अंकन है। वादी/क्रेता एक सद्भावी क्रेता है। विक्रयपत्र उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 17.12.2007 रुबरू गवाहन विधिवत् पंजीबद्ध किया गया है। उक्त विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया है। इस कारण वादी विवादित आराजीयात ख0न0 72 रकबा 03-19 बीघा (0.9990 हैक्ट.) हिस्सा 1/2 वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा के खातेदारी पाने के हकदार है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि भूमि आराजी ख0न0 72 रकबा 03-19 बीघा (0.9990 हैक्ट.) हिस्सा 1/2 वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)





आराजीयात को रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं करे। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बद्राजी ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (राज0)

डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज०)

ब अलजास गणराज बडगोती आर०ए०एस०

बिमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी-568, मालवीय नगर, जयपुर (राज०)

वादी

बनाम

भैरु पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी इब्राहीमाबाद तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)
(कुल कस 10) प्रतिवादीगण

मुकदमा न० 17 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री नन्दकिशोर शर्मा एड०, श्री हेमराज गुर्जर एड० मिनजानिब मुद्ई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 व 10 अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाकर व डिक्री दी जाती है की भूमि आराजी ख०न० 72 रकबा 03-19 बीघा (0.9990 हैक्ट.) हिस्सा 1/2 वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित आराजीयात को रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 व 10 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं करे।


निजी..... मबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे का मये मुद् वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... को अदा करे।
दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गई।



उप खण्ड अधिकारी
पीपलू, (टोंक)

मोहर



दस्तखत 
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा पीपल (टोक)

मुददर्ई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा.		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।